

लियाकतअली बनाम सन्तलाल आदि  
प्रकरण संख्या 32/2024 अन्तर्गत धारा 251क आरटीएक्ट(रास्ता स्वीकृति)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
28/4/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी की आपसी सहमति व तहसीलदार की रिपोर्ट आदि के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 21 एनडब्ल्यूडी के प.नं. 114/47(8) कि.नं. 5, 6, 15 के पूर्वी पासा पर उत्तर से दक्षिण लम्बाई में व 12 फुट चौड़ाई में यानि प्रत्येक किला में 0.019 है. कुल 0.057 है. भूमि को गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा रास्ता भूमि के बदले में प्रार्थी की भूमि चक 21 एनडब्ल्यूडी के प.नं. 114/47(8) कि.नं. 16 की 0.057 है. भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार को पत्र जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p>	

म  
सहायक कमिश्नर एवं  
उपरण्ड अधिकारी  
रावतपुर

